न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 19/16 सन् 2016
आरसीएमएस संख्या 2017/00049
बउनवानी:–

1. घनश्याम पुत्र नाथूलाल जाति नाथ निवासी सूरवाल तह0 व जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. पप्पू पुत्र मथुरालाल नाथ निवासी सूरवाल, तह0 व जिला सवाई माधोपुर
2. गजानन्द पुत्र मथुरालाल नाथ निवासी सूरवाल तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
3. सन्तरा पुत्री नाथूलाल पत्नि रमेश नाथ निवासी कोडयाई, तह0 बौंली
4. घीसी बैवा मथुरालाल नाथ निवासी सूरवाल तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
5. सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 92 निर्णय दिनांक 1.3.1999 वाके ग्राम सूरवाल तहसील सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित:– 1. श्री हंसराज यादव — वकील अपीलान्ट
2. श्री कमलेश कुमार जैन — पैरोकार राजस्व

–: निर्णय :– दिनांक 31.07.2019

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल,नामा0 संख्या 92 निर्णय दिनांक 1.3.1999 वाके ग्राम सूरवाल तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि ग्राम सूरवाल तहसील सवाईमाधोपुर में स्थित कृषि भूमि साबिक ख0न0 3809 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा अपीलान्ट व रेस्पो. संख्या 1 लगायत 5 के बुजुर्गान हजारी व नाथूलाल नाथ के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि थी परन्तु उक्त भूमि सहवन से नानगा पुत्र कालू बैरवा निवासी सूरवाल के नाम खातेदारी मे दर्ज हो गयी जिसके लिए अपीलान्ट व रेस्पो. 1 लगायत 4 के पिता व रेस्पो. संख्या 5 के पति मथुरालाल ने एक वाद पत्र माननीय उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के न्यायालय मे पेश किया गया जो मु.न. 64/95 बउनवानी मथुरालाल वगै. बनाम हीरालाल वगै. के नाम से प्रस्तुत किया जिसमे माननीय न्यायालय ने उभय पक्षों की सुनवायी कर बरूये राजीनामा दावा वादीगण दिनांक 8.1.1996 को स्वीकार कर वादीगण के पक्ष में डिक्री जारी की गयी। माननीय न्यायालय उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा वाद पत्र के निर्णय के साथ डिक्री बनाते समय सहवन से अपीलान्ट एवं रेस्पो. संख्या 1 लगायत 4 के पिता व रेस्पो. संख्या 5 के पति मथुरालाल की जगह केवल मथुरालाल पुत्र नाथूलाल नाथ के नाम डिक्री जारी कर दी एवं जरिये डिक्री अधीनस्थ न्यायालय रेस्पो. संख्या 6 ने नामा0 संख्या 92 दिनांक 1.3.1999 के द्वारा ख0न0 3809 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा की खातेदारी नानगा के बजाय मथुरालाल पुत्र नाथूलाल नाथ के नाम नामा0 भरकर तस्दीक कर दिया जिसकी जानकारी अपीलान्ट को होने पर अपीलान्ट ने डिक्री की नकल लेकर डिक्री को संशोधित करवाने हेतु माननीय न्यायालय उपजिला कलेक्टर महोदय सवाईमाधोपुर मे मु. न. 19/03 बउनवानी घनश्याम बहक मथुरालाल पेश किया जिसमे माननीय न्यायालय उपजिला कलेक्टर ने आदेशिका दिनांक 17.9.2003 को उभयपक्षों की सुनवायी कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया कि वाद संख्या 64/95 में दिनांक 8.1.1996 को जारी डिक्री के उनवान में मथुरालाल के साथ वादी संख्या 2 पप्पू पुत्र मथुरा लाल व वादी संख्या 3 घनश्याम पुत्र नाथूलाल का नाम अंकित कर डिक्री में शुद्वि करवाने बाबत पेश किया जाने पर पत्रावली संख्या 24/02 प्रार्थना पत्र अधीन धारा 152 आदेश सी0पी0सी विविध पर दिनांक 17.9.2003 को पारित

डॉ० एस. पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

निर्णय की पालना में दिनांक 19.1.2004 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय उपजिला कलेक्टर महोदय की निर्णित पत्रावली संख्या 64/95 रिकार्ड से प्राप्त होने पर डिक्री दिनांक 8.1.1996 में आदेशिक दिनांक 17.9.2003 की पालना में शुद्वि की गयी किन्तु उक्त आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील में कोई संशोधन नही किया है एवं रेस्पो. के पिता की मृत्यु होने पर नामा. संख्या 1172 दिनांक 19.11.2010 से उक्त विवादित भूमि का नामा. रेस्पो. 1 लगायत 5 के नाम तस्दीक कर दिया है। यह तर्क भी दिया कि आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी 1.7.2016 को जमाबन्दी मे अपीलान्ट का नाम दर्ज करने मना करने पर प्राप्त हुई है। अतः अपील अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया।

विद्वान रेस्पो0 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है क्योकि न्यायालय उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा मु.न. 64/95 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 8.1.1996 की पालना में आदेश जैर अपील नामा संख्या 92 दिनांक 1.3.1999 दर्ज फैसल किया गया है। जहॉ तक उक्त डिक्री को संशोधित करवाने बाबत उपजिला कलेक्टर न्यायालय की पत्रावली संख्या 24/02 प्रार्थना पत्र अधीन धारा 152 आदेश सी0पी0सी विविध पर दिनांक 17.9.2003 को शुद्वि करने बाबत दिये गये आदेश का प्रश्न है तो उक्त आदेश के विरूद्व रेस्पो. द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी थी जो मु.न. 24/04 पर दर्ज की जाकर दिनांक 16.11.2005 को उपजिला कलेक्टर न्यायालय सवाईमाधोपुर को पुनः सुनवायी हेतु रिमाण्ड की जाने पर न्यायालय उपजिला कलेक्टर में सुनवायी हेतु चला किन्तु दिनांक 20.2.2013 को अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उक्त प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज हो गया है। इसलिए वर्तमान में डिक्री दिनांक 8.1.1996 प्रभावी है तथा जब तक निर्णय व डिक्री दिनांक 8.1.1996 प्रभावी है तब तक आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 92 को खारिज नही किया जा सकता है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत वकील रेस्पो. द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि न्यायालय उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा मु.न. 64/95 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 8.1.1996 की पालना में आदेश जैर अपील नामा संख्या 92 दिनांक 1.3.1999 दर्ज फैसल किया गया है। जहॉ तक उक्त डिक्री को संशोधित करवाने बाबत उपजिला कलेक्टर न्यायालय की पत्रावली संख्या 24/02 प्रार्थना पत्र अधीन धारा 152 आदेश सी0पी0सी विविध पर दिनांक 17.9.2003 को शुद्वि करने बाबत दिये गये आदेश का प्रश्न है तो उक्त आदेश के विरूद्व रेस्पो. द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी जो मु.न. 24/04 पर दर्ज की जाकर दिनांक 16.11.2005 को उपजिला कलेक्टर न्यायालय सवाईमाधोपुर को पुनः सुनवायी हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया गया जो न्यायालय उपजिला कलेक्टर में सुनवायी हेतु चला किन्तु दिनांक 20.2.2013 को अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उक्त प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज हो गया है। चूंकि वर्तमान में उपजिला कलेक्टर न्यायालय सवाईमाधोपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 8.1.1996 प्रभावी है तथा जब तक निर्णय व डिक्री दिनांक 8.1.1996 प्रभावी है तब तक उक्त डिक्री के आधार पर तस्दीक किये गये नामा0 संख्या 92 मे हस्तक्षेप नही किया जा सकता है। इस प्रकार विवादित नामा संख्या 92 दिनांक 3.1.1999 वाके ग्राम सूरवाल में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.7.2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.12.03 16:51:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: